अध्याय I

परिचय

अध्याय I

परिचय

निष्पादन लेखापरीक्षा के इस अध्याय में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के बारे में संक्षिप्त परिचय, उत्तर प्रदेश में योजना के क्रियान्वयन के लिए संगठनात्मक संरचना और राज्य में इसके क्रियान्वयन की स्थिति के अतिरिक्त लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली का विवरण दिया गया है।

अध्याय का संक्षिप्त विवरण

- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण को उत्तर प्रदेश में वर्ष 2016-17 से लागू किया गया था एवं मार्च 2024 तक 36.15 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य राज्य को आवंटित किया गया था।
- वर्ष 2016-23 की अवधि में, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत 34.71 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई थी, जिनमें से मार्च 2024 तक 34.18 लाख आवासों का निर्माण किया गया था।

1.1 योजना के बारे में

ग्रामीण आवासों की कमी को दूर करना तथा विशेष रूप से गरीबों के लिए आवास की गुणवत्ता में सुधार करना, गरीबी उन्मूलन रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजनाओं की कमियों को दूर करने और वर्ष 2022 तक 'सभी के लिए आवास' प्रदान करने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, इंदिरा आवास योजना[1] को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में पुनर्गठित (नवंबर 2016) किया गया था। प्रधानमंत्री

[1] इंदिरा आवास योजना को वर्ष 1985-86 के दौरान ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की एक उप-योजना के रूप में शुरू किया गया था और इसे 01 जनवरी, 1996 से एक स्वतंत्र योजना बनाया गया था। इंदिरा आवास योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों, मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण गरीबों को एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी आवासीय इकाइयों के निर्माण/उन्नयन में सहायता करना था। इस कार्यक्रम को जिला परिषदों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था और आवासों का निर्माण लाभार्थियों द्वारा स्वयं किया जाना था।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन के लिए फ्रेमवर्क में जैसा कि बताया गया है, इंदिरा आवास योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की जरूरतों को पूरा किया है, हालाँकि वर्ष 2014 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा समवर्ती मूल्याँकन और निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान कुछ कमियों की पहचान की गई थी। इन कमियों में जैसे आवास की कमी का आकलन न करना, लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता की कमी, आवास की निम्न गुणवत्ता और तकनीकी पर्यवेक्षण की कमी, अभिसरण की कमी, लाभार्थियों द्वारा ऋण नहीं लेना और निगरानी के लिए अशक्त तंत्र, योजना के परिणामों एवं प्रभाव को सीमित कर रहे थे।

आवास योजना-ग्रामीण का उद्देश्य वर्ष 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी आवासहीन परिवारों एवं कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण आवासों में निवास करने वाले परिवारों को मूलभूत सुविधाओं के साथ एक पक्का आवास प्रदान करना था। जिसकी समय-सीमा मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई थी।

1.1.1 प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की मुख्य विशेषताएं

- आवासों की कमी और अन्य सामाजिक अभाव मापदंडों[2] पर सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना-2011 में प्रदर्शित आँकड़ों का ग्राम सभा द्वारा सत्यापन के आधार पर लाभार्थियों की पहचान एवं चयन किया जाना।
- इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत न्यूनतम इकाई (आवास) के आकार को 20 वर्गमीटर से बढ़ाकर 25 वर्गमीटर कर दिया गया था, जिसमें स्वच्छ खाना पकाने के लिए एक विशेष स्थान भी सम्मिलित था।
- मैदानी इलाकों में ₹ 70,000 (इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत) से बढाकर ₹ 1.20 लाख एवं पहाड़ी राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों व एकीकृत कार्य योजना जनपदों में ₹ 75,000 (इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत) से बढाकर ₹1.30 लाख की मौद्रिक सहायता बढ़ाई गई।
- मैदानी क्षेत्रों में आवासीय इकाई की सहायता लागत को भारत सरकार और राज्य सरकारों के मध्य 60:40 के अनुपात में साझा किया जाना था।
- स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालयों के लिए सहायता (₹ 12,000) का प्रावधान था।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आवासीय इकाई की सहायता राशि के अतिरिक्त आवास के निर्माण के लिए 90 मानव दिवसों[3] की अकुशल श्रमिक मजदूरी का प्रावधान था।
- स्थानीय सामग्रियों, उपयुक्त डिजाइनों और प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों का उपयोग कर लाभार्थियों द्वारा गुणवत्तापूर्ण आवासों का निर्माण किये जाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना था। लाभार्थी के पास सीमेंट कंक्रीट के आवास के मानक डिजाईन के अतिरिक्त संरचनात्मक रूप से मजबूत, सौंदर्य,

---

[2] सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना-2011 में अभाव के मापदंड: (i) केवल एक कमरा, कच्ची दीवारों और कच्ची छत वाले परिवार, (ii) 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य न होना, (iii) महिला मुखिया वाले परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष के बीच कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है (iv) विकलांग सदस्य वाले परिवार और कोई हृष्ट पुष्ट वयस्क सदस्य न होना (v) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार (vi) ऐसे परिवार जिनमें 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर वयस्क न होना एवं (vii) ऐसे भूमिहीन परिवार जिनकी आय का बड़ा हिस्सा शारीरिक सामायिक श्रम की आय से हो।

[3] दुर्गम क्षेत्रों और एकीकृत कार्य योजना जनपदों में 95 मानव दिवस

सांस्कृतिक और पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त आवास के डिजाइनों का एक व्यापक विकल्प चुनने के लिए उपलब्ध कराया जाना था।

- मूलभूत सुविधाएं जैसे पेयजल, विद्युत, खाना पकाने के लिए स्वच्छ एवं कुशल ईंधन आदि प्रदान करने के लिए अन्य शासकीय योजनाओं के साथ अभिसरण किया जाना।

1.1.2 उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन की स्थिति

वर्ष 2016-17 में योजना की प्रारंभ होने के पश्चात प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण को राज्य के समस्त 75 जनपदों में लागू किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत राज्य में मार्च 2024 तक 36.15 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। इनमें से वर्ष 2016-17 से 2022-23 की अवधि में राज्य में 34.71 लाख आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिनमें से 34.18 लाख आवास पूर्ण (मार्च 2024) हो गये थे। वर्ष 2016-23 की अवधि में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत आवासों की तुलना में मार्च 2024 तक निर्मित आवासों की संख्या ***चार्ट 1.1*** में प्रदर्शित है।

चार्ट 1.1: मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवासों का निर्माण

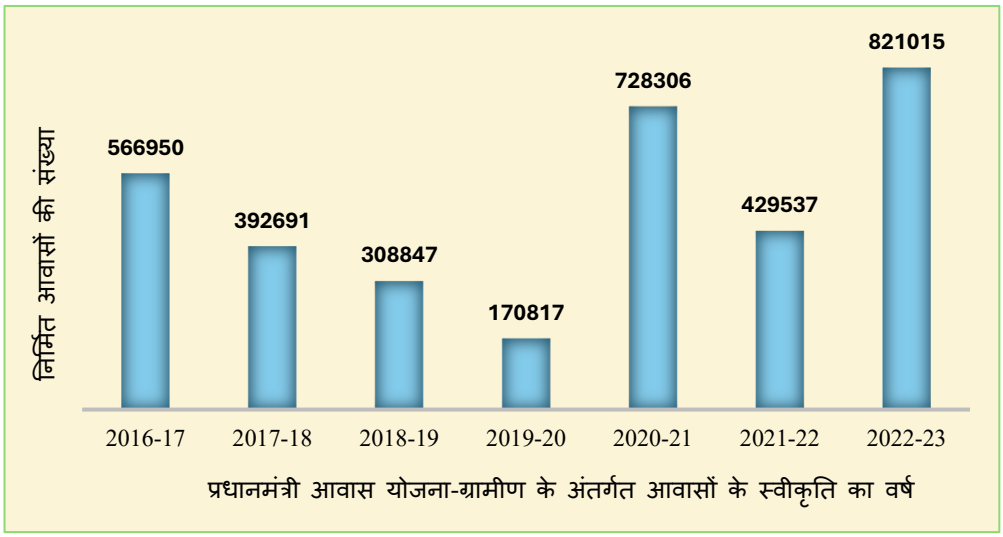

(स्रोत: आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

1.2 संगठनात्मक संरचना

उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण को ग्राम्य विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित किया गया था। राज्य स्तर पर आयुक्त ग्राम्य विकास, जनपद स्तर पर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक और विकास खंड

स्तर पर खंड विकास अधिकारी इस योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी थे। राज्य में ग्राम्य विकास विभाग की संगठनात्मक संरचना ***चार्ट 1.2*** में दर्शाई गई है।

चार्ट 1.2 ग्राम्य विकास विभाग की संगठनात्मक संरचना

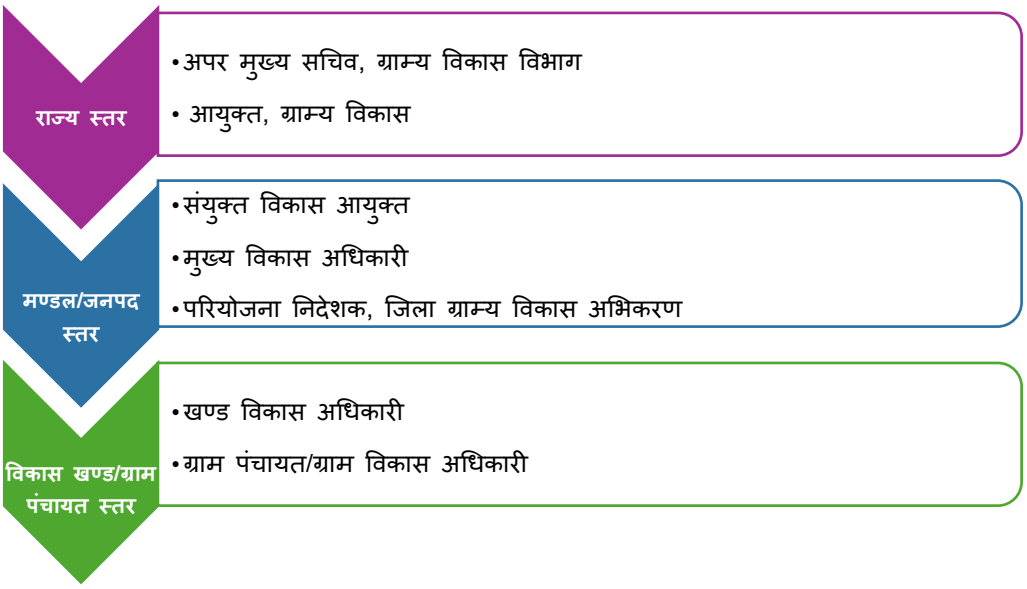

(स्रोत: आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजना के अंतर्गत, क्रियान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण के कार्यों को करने के लिए राज्य को एक समर्पित कार्यक्रम प्रबंधन इकाई स्थापित करना था। उत्तर प्रदेश में, राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का गठन किया गया था एवं जनपद तथा विकास खंड स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के गठन के लिए राज्य सरकार द्वारा मात्र पाँच जनपदों के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जैसा कि अध्याय-V के प्रस्तर 5.1 में चर्चा की गयी है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवासों को स्वीकृत करने की प्रक्रिया एवं विभिन्न चरणों को ***तालिका 1.1*** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवासों की स्वीकृति के विभिन्न चरण

	चरण	स्तर/प्राधिकार
लाभार्थियों की पहचान एवं चयन	सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना-2011 से या इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए किये गये सर्वेक्षण से पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करना	भारत सरकार
	सूची के अंतर्गत लाभार्थियों की प्राथमिकता निर्धारित करना	
	राज्य के लिए के लिये लक्ष्य निर्धारित	

	चरण	स्तर/प्राधिकार
	राज्य के लक्ष्यों को जनपदवार/विकास खंडवार एवं ग्राम पंचायतवार वितरित किया जाना	राज्य स्तर[4] (आयुक्त ग्राम्य विकास)
	ग्राम सभा द्वारा प्राथमिकता सूची का सत्यापन किया जाना	ग्राम सभा/पंचायत
	सत्यापन के उपरान्त, सूची को व्यापक रूप से प्रकाशित किया जाना	
	सूची में, सम्मिलित करने/हटाने/क्रम में परिवर्तन के लिए लाभार्थियों से शिकायत प्राप्त करना	ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत अधिकारी), विकास खंड (खण्ड विकास अधिकारी) एवं जनपद (परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण)
	शिकायतों के समाधान के बाद स्थायी प्रतीक्षा-सूची को अंतिम रूप देना	जनपद स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण)
आवासों की स्वीकृति एवं लाभार्थियों को आवासीय इकाई की सहायता राशि निर्गत करना	अंतिम स्थायी प्रतीक्षा-सूची से वार्षिक चयन-सूची को बनाया जाना	जनपद स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण)
	वार्षिक चयन-सूची से आवाससॉफ्ट[5] पर लाभार्थी का पंजीकरण किया जाना	विकास खंड स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (खण्ड विकास अधिकारी)
	मनरेगा जॉब कार्ड नंबर और लाभार्थी बैंक खाते का विवरण लिया जाना	
	बैंक द्वारा सत्यापन के लिए लाभार्थी के खाते को फ्रीज करना	
	बैंक से प्राप्त लाभार्थी के विवरण[6] को सत्यापित करना	
	स्वीकृति आदेश के लिए प्रस्ताव तैयार करना[7]	
	स्वीकृति आदेश तैयार किया जाना (प्रत्येक लाभार्थी के लिए स्वीकृति	जनपद स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (परियोजना

4 वर्ष 2020-21 अर्थात आवासप्लस सर्वेक्षण (2018-19) की स्थायी प्रतीक्षा-सूची लागू होने के उपरान्त से जनपदों, विकास खण्डों एवं ग्राम पंचायतों का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।

5 प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में आवाससॉफ्ट ई-गवर्नेंस की सुविधा के लिए एक वेब-आधारित लेन-देन इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण मंच है।

6 सार्वजानिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से।

7 राज्य सरकार ने अवगत कराया (अप्रैल 2025) कि वर्तमान में, यह चरण प्रक्रियाधीन नहीं था। पंजीकरण, बैंक खाते को फ्रीज करने एवं लाभार्थी को जियोटैग करने के उपरांत, लाभार्थी का नाम स्वीकृति के लिए आवाससॉफ्ट के जनपद लॉगिन में स्वतः प्रदर्शित होता है।

	चरण	स्तर/प्राधिकार
	आदेश एक अलग प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आईडी एवं क्यूआर कोड के साथ आवाससॉफ्ट में व्यक्तिगत रूप से तैयार किया जाता है)	निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण)
	प्रथम किश्त के भुगतान के लिए आदेश पत्रक तैयार करना	विकास खंड स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (खण्ड विकास अधिकारी)
	लाभार्थी को प्रथम किश्त निर्गत करने के लिए निधि अंतरण आदेश तैयार किया जाना	
	आगामी किश्त निर्गत करने से पूर्व वांछित स्तर तक आवास का निर्माण पूर्ण होने का निरीक्षण और जियोटैग किये गए चित्र को आवाससॉफ्ट पर अपलोड किया जाना	ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी
	आगामी किश्तों के भुगतान के लिए आदेश पत्रक तैयार किया जाना	विकास खंड स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (खण्ड विकास अधिकारी)
	लाभार्थी को आगामी किश्त निर्गत करने के लिए निधि अंतरण आदेश तैयार किया जाना	
	अंतिम किश्त निर्गत करने से पूर्व वांछित स्तर तक आवास का निर्माण पूर्ण होने का निरीक्षण एवं जियोटैग किये गए चित्र को आवाससॉफ्ट पर अपलोड किया जाना	ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी
	अंतिम किश्त के भुगतान के लिए आदेश पत्रक तैयार किया जाना	विकास खंड स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (खण्ड विकास अधिकारी)
	लाभार्थी को अंतिम किश्त निर्गत करने के लिए निधि अंतरण आदेश तैयार किया जाना	

(स्रोत: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क एवं आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश)

1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह पता लगाना था कि:

- योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान एवं उनका चयन योजना के दिशानिर्देशों के अनुपालन में किया गया था;

- निधियों का आवंटन एवं वितरण पर्याप्त तथा समयबद्ध तरीके से किया गया एवं इसका उपभोग भी मितव्ययितापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से किया गया;
- भौतिक लक्ष्यों की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए योजना को प्रभावी ढंग से एवं अपेक्षित गुणवत्ता के अनुसार कार्यान्वित किया गया;
- मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण, योजना के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन में था;
- योजना की निगरानी एवं मूल्यांकन योजना के दिशानिर्देशों के अनुपालन मे था।

1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित प्रलेखों से प्राप्त किए गए थे:

- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क (नवंबर 2016)।
- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत किए गए निर्देश, परिपत्र एवं आदेश।

1.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखा परीक्षा मे राज्य स्तर पर, वर्ष 2017-23 की अवधि से संबंधित कार्यालय प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास विभाग एवं आयुक्त ग्राम्य विकास के अभिलेखों की जाँच की गई थी। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश के सभी चार भौगोलिक क्षेत्रों[8] का प्रतिनिधित्व करते हुए पीपीएसडब्ल्यूओआर साँख्यिकीय नमूना पद्धति[9] अपनाकर 19 जनपदों[10]*(25* प्रतिशत) का चयन नमूना जाँच के लिए किया गया था। इसके पश्चात, प्रत्येक नमूना जाँच हेतु चयनित जनपद में 30 प्रतिशत या अधिकतम तीन विकास खंडो के खंड विकास कार्यालयों का चयन किया गया एवं पीपीएसडब्ल्यूओआर पद्धति[11] को लागू करके प्रत्येक नमूना विकास खंडो के अंतर्गत 25 प्रतिशत ग्राम पंचायतों या अधिकतम

[8] पूर्वी, पश्चिमी, मध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र। जनपद स्तर पर, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अभिलेखों की जाँच परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्यालय में की गई थी।

[9] प्रतिस्थापन के बिना आकार के लिए अनुपात में संभावना विधि; जनपदों के चयन के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत किया गया व्यय को आधार के रूप में लिया गया था।

[10] जनपद स्तर पर, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अभिलेखों की जाँच परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्यालय में की गई थी।

[11] विकास खण्डों एवं ग्राम पंचायतों के चयन के लिए, संबंधित विकास खंडो एवं ग्राम पंचायतों में स्वीकृत आवासों की संख्या को आधार के रूप में लिया गया था।

पाँच ग्राम पंचायतों का चयन निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए किया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु चयनित जनपदों, विकास खंडों एवं ग्राम पंचायतों की सूची ***परिशिष्ट 1.1*** में दी गई है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक नमूना ग्राम पंचायत में यथाक्रम यादृच्छिक नमूना पद्धति[12] का उपयोग करके आठ लाभार्थियों का चयन उनके निर्मित आवासों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के लिए किया गया। इस प्रकार निष्पादन लेखापरीक्षा में 19 जनपदों[13], 56 विकास खंडो, 280 ग्राम पंचायतों एवं 2,178[14] लाभार्थियों के नमूनों को सम्मिलित किया गया।

1.6 प्रारंभिक एवं समापन बैठक तथा राज्य सरकार के उत्तर

राज्य सरकार के साथ एक प्रारंभिक बैठक 21 अगस्त 2023 को आयोजित की गई, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। लेखापरीक्षा कार्य सितंबर 2023 और अप्रैल 2024 के मध्य सम्पादित किया गया। मसौदा प्रतिवेदन जुलाई 2024 में राज्य सरकार को प्रेषित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा सितंबर 2024 में मसौदा प्रतिवेदन पर उत्तर प्रस्तुत किया गया तथा 10 अक्टूबर 2024 को एक समापन बैठक आयोजित की गयी। राज्य सरकार/आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा अतिरिक्त उत्तर/सूचना भी उपलब्ध (अप्रैल 2025) कराया गया । राज्य सरकार के उत्तरों को प्रतिवेदन में यथास्थान सम्मिलित किया गया है।

1.7 प्रतिवेदन की संरचना

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को निम्नलिखित पाँच अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है:

अध्याय I: परिचय

अध्याय II: लाभार्थियों की पहचान एवं चयन

अध्याय III: वित्तीय प्रबंधन

अध्याय IV: योजना का क्रियान्वयन

अध्याय V: योजना की निगरानी

---

[12] प्रत्येक श्रेणी से कम से कम एक लाभार्थी अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य का चयन, यदि नमूना ग्राम पंचायत में उपलब्ध हो, किया गया था ।

[13] जौनपुर, महराजगंज, आजमगढ़, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, बदायूं, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, झांसी, महोबा, सीतापुर, बहराइच, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, हरदोई, बांदा, हमीरपुर, उन्नाव एवं संभल।

[14] 249 ग्राम पंचायतों में आठ लाभार्थी उपलब्ध थे और 31 ग्राम पंचायतों में आठ से कम लाभार्थी उपलब्ध थे। इस प्रकार संयुक्त भौतिक सत्यापन में 280 ग्राम पंचायतों के कुल 2,178 लाभार्थियों को आच्छादित किया गया।

अध्याय-I सामान्य प्रकृति का है जो लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा मानदंड, कार्यक्षेत्र एवं निष्पादन लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली के साथ-साथ योजना का संक्षिप्त परिचय और राज्य में इसके क्रियान्वयन की स्थिति को दर्शाता है। अन्य चार अध्यायों (अध्याय-II से V) में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित हैं।

1.8 अभिस्वीकृति

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के आयोजन में ग्राम्य विकास विभाग, आयुक्त ग्राम्य विकास, नमूना चयनित जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के परियोजना निदेशक, विकास खंडो के खंड विकास अधिकारी तथा ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा प्रदान किए गए सहयोग एवं सहायता के लिए लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करती है।